विभागीय निगरानी कोषांग के गठन एवं दायित्वों के संबंध में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2025 को पूर्वाहन 10:00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री दीपक कुमार सिंह,
   अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह,
   विषेष सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी,
   ग्रामीण कार्य विभाग।

3. श्री अभय झा,
   संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

4. श्री संजय कुमार,
   संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

5. श्री संजय कुमार,
   अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

6. श्री आदित्य प्रकाश,
   अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु विभागीय निगरानी कोषांगों को सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 4841 दिनांक 19.09.2014 की कंडिका–3(ग), 3(घ) 3(ड़) एवं 4 के आलोक में निगरानी कोषांग के गठन एवं दायित्वों के संबंध में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्न निर्णय लिया गया हैः–

1. विभागीय कार्यालय आदेश सं0–46 सह–पठित ज्ञापांक 2641 दिनांक 07.10.2024 द्वारा श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन गठित निगरानी कोषांग के तकनीकी सदस्य श्री कृष्णा प्रसाद, कार्यपालक अभियंता का अन्यत्र स्थानांतरण होने के कारण इनके स्थान पर श्री विरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय को नामित किया जाय। अन्य सदस्य श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव यथावत रहेंगे।

2. निगरानी कोषांग में एक प्रशाखा पदाधिकारी, एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एक उच्चवर्गीय लिपिक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक आदेशपाल का पदस्थापन किया जाय। निगरानी कोषांग को अपने कार्य के निर्वहन के लिए इसमें एक हेल्पलाईन स्थापित किया जाय। इस हेतु एक डेडीकेटेड लैंडलाईन के साथ CUG मोबाईल की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। साथ ही निगरानी कोषांग में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान की जाय। निगरानी कोषांग को कार्य करने हेतु कोई स्थान आवंटित करने के लिए लेखा शाखा को निदेशित किया जाय।

3. निगरानी कोषांग के पूर्ण रूप से स्थापित होने के उपरान्त विभाग में भ्रष्टाचार संबंधी प्राप्त सभी परिवाद/शिकायत निगरानी कोषांग को प्राप्त कराया जायेगा। व्यक्ति विशेष के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी परिवाद/शिकायत को निगरानी कोषांग द्वारा अवर सचिव (निगरानी कोषांग), ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से मुख्य निगरानी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेंगे तथा योजनाओं से संबंधित परिवाद/शिकायत को निगरानी कोषांग द्वारा विभाग में पूर्व से कार्यरत निगरानी प्रशाखा को हस्तांतरित किया जायेगा।

4. आम जनता में भ्रष्टाचार को प्रतिरोध करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में निगरानी कोषांग के हेल्पलाईन नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को जन साधारण के जानकारी हेतु सूचनापट्ट में अंकित कर विभाग के सभी कार्यालयों में लगाया जाय। साथ ही इसे समाचार पत्र में अगले तीन महीने तक प्रतिमाह प्रकाशित किया जाय। Whistleblower Protection के लिए उनके नाम को गुप्त रखे जाने का निदेश दिया गया है।

5. भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए जटिल नियमों/परिनियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण किये जाने, क्रय (Procurement) के लिए इन्हें पारदर्शी बनाने तथा e-Procurement को बढावा देने एवं निर्णय की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जबावदेही की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में विभाग में स्वच्छ बिहार पोर्टल के अंतर्गत SCDPM के क्रियान्वयन के लिए आयोजित बैठक में निविदा से संबंधित कार्यों को आसान करने हेतु इस संबंध में निर्गत पत्र/परिपत्र/SOP की समीक्षा करने एवं विभाग में e-Office के क्रियान्वयन हेतु विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

साथ ही विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों में क्रय (Procurement) GEM Portal एवं E-Proc के माध्यम से ही करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त कालीकृत/डिबार एजेंसियों की समेकित सूची को विभागीय Website पर एक अतिरिक्त Tab का निर्धारण कर उसमें संधारित करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि उक्त सूची को प्रत्येक माह सभी संबंधित विभागों एवं कार्यालयों में परिचारित किया जाय। साथ ही भविष्य में

कालीकृत/डिबार किये जाने के अलग–अलग मामलों में प्रतिलिपि भी संबंधित विभागों/कार्यालयों को दी जाय।

विभागीय MIS (Management Information System) में योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सूचनाएँ यथा योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यकारी एजेंसी का नाम, कार्य प्रारंभ/समाप्ति की निर्धारित तिथि इत्यादि को विभागीय Website के RTI Tab पर अपलोड किये जाने का निदेश दिया गया है।

6. निविदा प्रक्रिया में निविदादाता के साथ Integrity pact के प्रावधान को विश्व बैंक संपोषित कोशी परियोजना से संबंधित कार्यों के विरूद्ध किये गये एकरारनामा में लागू किया गया है। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में इसे लागू करने की संभावनाओं पर अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, एक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

7. विभाग में संचालित योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु विभागीय पदाधिकारियों के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर सप्ताहिक निरीक्षण/औचक निरीक्षण का निदेश दिया गया, जिसके उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

8. विभाग में निगरानी विभाग/अन्य से संबंधित अभियोजन स्वीकृति के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–8–34/2025 10147 /पटना,दिनांक :– 19.9.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/ सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25
अवर सचिव